संख्या-105/2021/2038/26-3-2021-44(विविध)/2017 टी.सी.

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 03 सितम्बर 2021

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-18/ज0जा0वि0/2021-22, दिनांक-02.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225- 02-796-0104-24- वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-877.42600 लाख में से विकास कार्यों की आगणित लागत रू0-372.846 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि **रू0-186.423 लाख (रू0-एक करोड़ छियासी लाख बयालीस हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र 0 सं 0	कार्य का नाम	जनपद	आगणित धनराशि	वर्ष 2021-22 में 50 प्रतिशत की स्वीकृत धनराशि
1	ग्राम रमपुरवा धुबौलिया में सोलर लाइट तथा इण्टरलाकिंग का कार्य	बलरामपुर	118.746	59.373
2	ग्राम धुबौलिया रहरा में सोलर लाइट तथा इण्टरलाकिंग का कार्य	बलरामपुर	66.27	33.135
3	ग्राम धुबौलिया में सोलर लाइट तथा इण्टरलाकिंग का कार्य	बलरामपुर	129.45	64.725
4	ग्राम रजडेरवा में सोलर लाइट तथा इण्टरलाकिंग का कार्य	बलरामपुर	58.38	29.19
कुल योग-			**372.846**	**186.423**

(रू0–एक करोड़ छियासी लाख बयालीस हजार तीन सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(3) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(12) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त ई-4-969-दस/2021, दिनांक-03 सितम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृसं0-105/2021/2038 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी एवं बलरामपुर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
9- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in